

03/05/18

पञ्जाबली राज न्याय कोर्टे हार अभिमान  
 2018 डेप्य कोर्टे ग्राम पंचायत सिंगौडिया में रखी  
 गई प्राथी कडील उपस्थित। प्राथी कडील ही एड-  
 पक्षीय बटल सुनी गई प्राथी के अधिवक्ता ने  
 कताप्रा ही प्राथी ने सर्वे में अपने प्यालेसारी  
 प्येले का तीमाज्ञान डरकता गप। परतु प्राथी  
 के प्येले के लेवा के लेडु कापल के विवाद  
 रहल है इसलिए प्राथी ही अपने प्यालेसारी प्येले  
 के चारों तरफ पक्के नेचम स्थापित डरकता  
 काकशुड है लिहाजा प्राथी का नेचमवनी कावेदन  
 स्वीकार किया जाउर नेचमवनी फाइल किया जाके।  
 कत प्राथी अधिवक्ता के निवेदन  
 पर प्राथी का नेचमवनी कावेदन स्वीकार किया  
 जाउर लटमीलडाए कापल को इमिशन नियुक्त किया  
 जाल है व फाइल किया जाल है कि प्राथी के  
 लेवा पक्षीसियों को नोटिस देडर कापु स्वमं या  
 अपने अधिनस्थ किसी भी मू अधिलेख निरीक्ष  
 ले प्राथी के प्यालेसारी प्येले की पक्की नेचमवनी  
 मोडे पर इमिशन शुल्क जमाडाउर डरे पालना रिपोर्ट  
 पाला हौने पर पञ्जाबली का मिल पञ्जाबली ही पञ्जाबली  
 फौमल शुणाए ही डजी नम्बर ले डपु ही दाखिल  
 दफ्तर ही।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पीठासीन अधिकारी, बायतु  
राजस्व लोक अदालत, न्याय आपके द्वार, 2018

( केम्प कोर्ट, सिगोड़िया)

क्रमांक / न्याय आपके द्वार / कोर्ट / 2018 / 18  
प्रार्थी बनाम

दिनांक: -03/05/2018

विप्रार्थीगण

1. श्री बगताराम पुत्र हड्डुमानराम वगैरा  
4 जाति ब्राह्मण निवासी चैनाणियों की  
ढाणी, हरखाली तहसील बायतु जिला  
बाड़मेर

1. श्री नन्दराम पुत्र किशनाराम वगैरा 12  
निवासी चैनाणियों की ढाणी, हरखाली  
तहसील बायतु जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 48/18

आदेश

मौजा चैनाणियों की ढाणी पटवार हल्का हरखाली के मूल खसरा नम्बर 296 वर्तमान खसरा नम्बर 789/296 रकबा 14.12 बीघा की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भूअनिरीक्षक से प्रार्थीगण के खातेदारी खेत के चारो तरफ सेढा पडौसीयो को नोटिस देने के बाद, प्रार्थीगण के खातेदारी खेत की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमिशनर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी, बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

(हेताराम चौहान)

उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक: -03/05/2018

क्रमांक / न्याय आपके द्वार / कोर्ट / 2018 / 19-23  
प्रतिलिपि: - निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, बायतु।
2. पटवारी हल्का हरखाली को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री बगताराम पुत्र हड्डुमानराम वगैरा 4।
4. विप्रार्थी श्री नन्दराम पुत्र किशनाराम वगैरा 12।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु।

उपखण्ड अधिकारी बायतु